FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

हरिराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती मु0नं0 127 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/259

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-04-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी श्री पुष्पेन्द्र मीणा उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक **28.05.2025** को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
28/05/25	वकील वादी उप0। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/08/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
29/8	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है. पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 30/10/25	
30/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्घ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वादी की ओर से शपथ–पत्र pw_1, pw_2 पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।	सुभाष जाखड़ हीरालाल

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं पेशशुदा शपथ–पत्रों का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''हरिया, हीरा, हरिरास पुत्र झूंथा'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''हरिया, हीरा, हरिरास पुत्र झूंथा'' की जगह ''हरीराम पुत्र झूंथाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा सहकारी किसान कार्ड व अन्य जमाबन्दीयों से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम चक मण्ढोली पटवार हल्का मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 179 ता 181, 185, 187, 25 में वादी का गलत दर्ज नाम ''हरिया, हरिरास पुत्र झूंथा'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''हरीराम पुत्र झूंथाराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. हरीराम पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी ढाणी कुम्भाकाला तन पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नं. 127 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री पुष्पेन्द्र मीणा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चक मण्ढोली पटवार हल्का मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 179 ता 181, 185, 187, 25 में वादी का गलत दर्ज नाम "हरिया, हरिरास पुत्र झूंथा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "हरीराम पुत्र झूंथाराम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 30 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।